E-mail/Speed post/By hand

शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड
31/62, राजपुर रोड, देहरादून।
संख्या–5767/विविध–599/(प्रतिनियुक्ति)/2011,
दिनांक–26 दिसम्बर, 2025

सार्वजनिक सूचना

पालिका केन्द्रीयित अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत रिक्त पदों को नियमित पदोन्नति से भरे जाने में सम्भावित समय लगने के दृष्टिगत शासकीय कार्यहित में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा 03 वर्ष जो भी पहले हो, की अवधि तक प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने के सम्बन्ध में निर्धारित/अनुमोदित अर्हताधारी ऐसे केन्द्र सरकार/राजकीय विभागों/निगम/सार्वजनिक उपक्रम में नियमित रूप से नियुक्त इच्छुक अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उक्त पदों हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता/अर्हता का विवरण विभागीय वेबसाईट–www.udd.uk.gov.in/कार्यालय सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

क्र0स0	पदनाम	वेतनबैण्ड/ग्रेड वेतन	प्रतिनियुक्ति पदों की संख्या
01	अधीक्षण अभियन्ता	15600–39100/7600	1
02	अधिशासी अभियन्ता	15600–39100/6600	7
03	सहायक अभियन्ता (मैकेनिकल)	15600–39100/5400	1
04	सहायक अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल)	15600–39100/5400	1
05	अवर अभियन्ता (सिविल)	9300–34800/4600	6
06	अवर अभियन्ता (मैकेनिकल)	9300–34800/4600	2
07	अवर अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल)	9300–34800/4600	12
		योग	30

2– उक्तानुसार केन्द्र सरकार/राजकीय विभाग/निगम/सार्वजनिक उपक्रम में नियमित/स्थायी रूप से नियुक्त/इच्छुक अधिकारी/कर्मचारी अपने आवेदन पत्र नियुक्ति के सेवा विवरण (पूर्ण बायोडाटा सहित) तथा नियुक्ति प्राधिकारी/सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से दिनांक 15 जनवरी 2026 सांय 5 बजे तक पंजीकृत पत्र के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर प्रेषित कर सकते हैं।

3– चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विभाग में प्रतिनियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व मूल विभाग की सक्षम स्तर से विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्थानीय निकायों में कार्यरत कार्मिकों के आवेदन किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगे।

(विनोद गोस्वामी)
निदेशक।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के दिये गये निर्देशो के अनुपालन में।
2– सम्पादक, अमर उजाला/दैनिक जागरण देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञाप्ति के विज्ञापन को शासकीय दरों पर दिनांक 27–12–2025 को ....वर्ग सेन्टीमीटर में गढ़वाल/कुमाऊं संस्करण में प्रकाशित कराते हुए सत्यापित बिल एवं समाचार पत्र की प्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4– मौ0 आदिल, एम0आई0एस0 विशेषज्ञ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त सूचना तत्काल प्राथमिकता के आधार पर विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5– नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6– गार्ड फाईल।

(विनोद गोस्वामी)
निदेशक।